पत्रांक / 5456 / आयु०कर०उत्त० / वाणि०कर / आई०टी०अनुभाग / 2014–14 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(आई०टी०–अनुभाग)
देहरादून :: दिनाँकः: 19 फरवरी ,2015

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

:–परिपत्रः–

(अधिकारियो हेतु On Line CST Registration के सम्बंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया)

विभागीय कम्प्यूटराईजेशन के अन्तर्गत वर्तमान में लागू ई–रजिस्ट्रेशन के अधीन उन व्यापारियो की सुविधा हेतु जो वैट के अन्तर्गत पंजीकृत है और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन लेना चाहते है, पृथक से केन्द्रीय पंजीयन प्रार्थना पत्र को On Line दाखिल करने का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस प्रकार प्राप्त On Line केन्द्रीय पंजीयन प्रार्थना पत्र के Disposal हेतु अधिकारियो द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

1. CT Application के अन्तर्गत अधिकारी लॉग इन कर "Dealer Registration and Management System" पर क्लिक करेंगे।

2. उपलब्ध विकल्पों में से "Disposal of Application" में जाकर "dispose e-CST registration application" पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् सम्बन्धित खण्ड में प्राप्त सभी e-CST registration application दिखाई देगी।

3. यदि व्यापारी द्वारा ई–पेमेन्ट के द्वारा पंजीयन फीस जमा की गयी है तो अधिकारी सीधे पंजीयन आवेदन को Disposed करने हेतु बिन्दु सं० 04 में अंकित की कार्यवाही करेंगे। यदि व्यापारी द्वारा मैनुवल विधि से पंजीयन फीस जमा की गयी है तो अधिकारी चालान की एक प्रति स्केन कर "Upload Challan Details" मे क्लिक करेंगे। इसके उपरान्त अधिकारी "Upload Dealer Master File" में "Registration Related" Button पर Click करते हुए उक्त चालान को Upload करेंगे।

क्र0सं0 2

4. बिन्दु सं0 03 में दी गयी कार्यवाही करने के पश्चात आवेदन पत्र के निस्तारण के लिए दो विकल्प "Dispose" एवं "Generate Notice" उपलब्ध होंगे।

5. जिन प्रार्थना पत्रों पर नोटिस देने की आवश्यकता है उनमें अधिकारी "Generate Notice" के विकल्प का चयन कर ऑनलाईन नोटिस जारी कर सकते हैं। जिसका Print भी लिया जा सकता है।

6. नोटिस जारी करने हेतु अधिकारी निर्धारित format में अंग्रेजी या हिन्दी दोनों भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। हिन्दी के लिये मंगल फॉन्ट का प्रयोग किया जायेगा। यदि आवश्यकता हो तो किसी और स्थान से कॉपी एवं पेस्ट भी किया जा सकता है। इस प्रकार जारी नोटिस व्यापारी को ई–मेल द्वारा एवं उसके लॉग इन पर उपलब्ध होगा।

7. जिन व्यापारियों को नोटिस जारी किया जायेगा उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के पश्चात "Dispose Notice" के ऑप्शन पर जाकर आदेश संख्या एवं दिनांक अंकित करते हुये नोटिस को "Dispose Notice" पर क्लिक कर Dispose किया जायेगा। स्क्रीन पर "Notice is Disposed Successfully" का Message दिखायी देगा। इसके पश्चात ही केन्द्रीय पंजीयन को जारी करने या निरस्त करने की प्रकिया की जायेगी।

8. इसके पश्चात "Back to Application Menu" पर क्लिक करेगे।

9. इसके उपरान्त "Dispose Application" के Option पर क्ल्कि करेंगें।

10. जिन प्रार्थना पत्रो पर नोटिस जारी करने की आवश्यकता नही है, उनके सम्बंध में सीधे "Dispose Application" पर क्लिक करेगें।

11. इसके उपरान्त आवेदक का प्रार्थना पत्र स्क्रीन पर दिखायी देगा तथा नीचे "Goods Purchased/Produced by Dealer" में यदि किसी Commodity को Disapprove को करना है तो उस Commodity के आगे उपलब्ध चैक बौक्स Select कर Remark के कोलम में कारण लिखते हुए Commodity को अस्वीकार करेगें।

12. तत्पश्चात "Submit & Proceed" के Button पर क्लिक करेंगे।

13. इसके उपरान्त "Dispose Application" का Option के उपलब्ध हो जायेगा। जिसका प्रयोग करते हुए अधिकारी आवश्यकता अनुसार प्रार्थना पत्र को "Grant" या "Reject" कर सकेगे।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं०व 5456 दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड।

2– एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊ जोन रूद्रपुर।

3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रतियां समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4– ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमा़ऊ जोन रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रतियां अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

o/c